न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :— 30/2020 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रज्जू उर्फ राजपाल आयु करीब 52 वर्ष
2. प्रेमसिंह पुत्र श्री रज्जू उर्फ राजपाल आयु करीब 68 वर्ष जाति जाट निवासीयान ग्राम खेडलीवीरान तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर रज0

.... अपीलाण्टान

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र सोन्या जाति जाट
2. प्रभुसिंह पुत्र सोन्या जाति जाट
3. जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र चिरंजी नवीरा सोन्या
4. मु0 लीला बेवा चिरंजी
5. विशम्भर दयाल पुत्र हरिकिशन
6. मु0 शीला बेवा समुन्द्रसिंह
7. मनीषा पुत्री समुन्द्रसिंह
8. अनीता पुत्री समुन्द्रसिंह
9. अभिषेक पुत्र समुन्द्रसिंह जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम खेडलीवीरान तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

..................रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :—

1. श्री अमरचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री मूलचन्द चौधरी व श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय :::

दिनांक :— 17.09.2021

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 2/166/19 उनवान रामेश्वर दयाल बनाम श्रीचन्द, में निर्णय दिनांक 19.03.20 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्टगण/प्रार्थीगण द्वारा मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 380/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, 391 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा एवं 394 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर जिसके हाल ख.नं. 1219/700 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1220/700 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, 1221/700 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, 1222/700 रकबा 10 बिस्वा, 1223/701 रकबा 10 बिस्वा, 1224/701 रकबा 1 बीघा, 1225/701 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, 1226/701 रकबा 15 बिस्वा, 708 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, 710 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं 712 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में स्थित आराजीयात है, जो कि विवादित है। आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पैतृक आराजी है। वादीगण के दादा रामचन्द्र थे जिनके तीन पुत्र सोन्या, रज्जू उर्फ राजपाल एवं मोहरपाल हुए, जो तीनों फोत हो चुके। रज्जू उर्फ राजपाल के वादीगण रामेश्वर दयाल व प्रेमसिंह तथा सोन्या के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 हैं तथा मोहरपाल का वारिस शिम्भूदयाल हैं। आराजी मुतनाजा पूर्व में दादा रामचन्द्र की कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी थी, जिसके मरने के बाद में उक्त आराजी उसके वारिसान सोन्या, रज्जू उर्फ राजपाल एवं मोहरपाल को 1/3–1/3 भाग प्राप्त होनी चाहिए थी। वादीगण के दादा रामचन्द्र सम्वत् 1990 में फोत हो गया था और आराजी मुतनाजा दीगर गांव घाट बाई भी स्थित होने के कारण दादा रामचन्द्र के मरने के बाद उसके बडे पुत्र सोन्या जो कि घर का कर्ताधर्ता होने के कारण उसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बेईमानी के आशय से विरासत दर्ज करवा ली, जिसे इस प्रकार तन्हा अपने नाम ही दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि रामचन्द्र की सन्तान सोन्या के अलावा वादीगण के पिता रज्जू उर्फ राजपाल के पुत्र बतौर वारिस थे। वादीगण के दादा रामचन्द्र के खाते में वक्त फोतगी वाके ग्राम घाट में साबिक ख. नं. 380/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, 391 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा एवं 394 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है। प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सोन्या की पूर्ण जानकारी में होते हुए भी उसने बेजा तौर पर चालाकी से उक्त साबिक नम्बरान में से आराजी 380/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा तौफल्या उर्फ तोपसिंह पुत्र दलजी दारोगा साकिन हादरहेउ को नगद पैसे लेकर मालाकलाम संवत् 2016 में बेचान कर दिया। जिसका बयनामा न करवाकर सीधा ही कब्जा दे दिया। जिसके आधार पर तौफल्या उर्फ तौपसिंह ने बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर संवत् 2028 में अपने नाम आराजी का इन्द्राज करवा लिया। बाकी शेष आराजी में सोन्या स्वयं ने वक्त बन्दोबस्त तीन हिस्से तीनों भाईयों के नाम दर्ज करवाये, जिसमें भी वादीगण के पिता को बेजा तौर पर 17 बिस्वा आराजी रिकॉर्ड में कम दर्ज करवाई, जिसके लिए मातहत अदालत में अलग से दुरूस्ती का वाद दायर कर रखा है। सोन्या द्वारा तौफल्या उर्फ तौपसिंह को बेची हुई आराजी में वादीगण का 2 बीघा 12 बिस्वा आता था, जिसकी ऐवज में वादीगण ख.नं. 391 जिसका हाल ख.नं. 708 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, जो कि आज भी सोन्या के वारिसान के नाम रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है, में से 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि की कानूनन खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन का कब्जा देने को कहा तो पहले तो उन्होंने हां

सांच की किन्तु दिनांक 10.12.19 को इन्कार कर दिया और धमकी दी कि इस जमीन को भी दिगर व्यक्ति का रहन व मुन्तकिल करके रहेंगें। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिससे प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावें। इस प्रार्थना के साथ वादीगण/रेस्पोडेण्टगण ने प्रार्थना पत्र मातहत अदालत में पेश किया।

मातहत अदालत में प्रतिवादीगण ने जवाब दरख्वास्त में उल्लेखित किया कि साबिक ख.नं. 380, 391, 394 विवादित आराजीयात नहीं है। उक्त आराजीयात हमारे दादा रामचन्द्र के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सौन्या पुत्र रामचन्द्र के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसे सौन्या ने तत्कालीन बिस्वेदार कल्याणसिंह से दबाया था और जब्ती बिस्वेदारी के समय सौन्या का कब्जा चला आ रहा था। इस आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है और ना ही कब्जा है। जमाबन्दी सम्वत् 1991, 2009, 2013 व 2017 में सौन्या पुत्र रामचन्दर के नाम सही प्रकार खातेदारी में दर्ज की गई जो छल कपट से दर्ज नहीं की गई, बल्कि कानून अनुसार कब्जे के आधार पर दर्ज की गई। दोनों पक्षों को सुनकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 19.03.20 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील मीमो में वाद के तथ्यों के साथ-साथ अन्य तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत अदालत में दिनांक 14.03.20 को प्रकरण वास्ते बहस टी आई एवं तनकीयात दरख्वास्त में आगामी पेशी दिनांक 16.03.20 नियत की गई थी। दिनांक 16.03.20 को तारीख पेशी पर पत्रावली पेश नहीं हुई जो कि पत्रावली की ऑर्डरशीट से ताईद हैं। दिनांक 19.03.20 को मिन अपीलाण्टान के पीछे से टी आई का फैसला कर खारिज फरमा दिया गया। तहत अदालत में उभयपक्षकारान की उपस्थिति बेजा तौर पर दर्शायी गई है जबकि मिन अपीलाण्टान तहत अदालत में उपस्थित नहीं थे। सम्वत् 1986 की जमाबन्दी में रामचन्दर कब्जा 22 साल दर्ज किया गया है उसी आधार पर सम्वत् 1991 को अकेला सोन्या के नाम विरासत दर्ज होकर जमाबन्दी में सोन्या साल 27 दर्ज किया गया है जिस पर तहत अदालत ने बिल्कुल ध्यान ना देकर बेजा तौर से निर्णय पारित किया है। आराजी मुतनाजा हाल में रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज चली आ रही है ऐसी स्थिति में अगर रेस्पोडेण्टान को पाबन्द नहीं किया गया तो वो किसी दीगर शख्स को बेचान कर सकते है जिससे पक्षकारान के मध्य और भी तनाजा होगा। इस प्रकार अपीलाण्टगण द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.20 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेण्टान को पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी ख.नं. 708 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ में मिन अपीलाण्ट को जबरन बेदखन ना करें ना ही अपीलाण्टान के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने लाने ले-जाने आदि में किसी प्रकार की कोई रूकावट मजाहमत पैदा करें। और ना ही आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबा आदि के जरिये मुन्तकिल व मकफूल करें तथा रिकॅार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 19.03.20 को मिन

अपीलाण्ट के पीछे से बालाबाला पारित कर मिन अपीलाण्टान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है, जिसकी जानकारी मिन अपीलाण्टान को दिनांक 15.12.20 को हुई जब रेस्पोडेण्टान ने विवादित आराजी में मिन अपीलाण्टान के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की और झगड़े पर उतारू हो गये तथा मिन अपीलाण्टान ने ऐतराज किया तो रेस्पोडेण्टान ने ऐलानिया बताया कि हमने तो पिछले पीठासीन अधिकारी से उनके स्थानान्तरण से पूर्व ही तुम्हारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज करा दिया है। जिस पर मिन अपीलाण्टान ने दिनांक 16.12.20 को वकील साहब से सम्पर्क कर प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की तो पता चला कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बालाबाला में दिनांक 19.03.20 को ही लॉकडाउन होते हुए भी अपीलाण्टान का प्रार्थना पत्र बेजा तौर पर खारिज कर दिया। उसी दिन दिनांक 16.12.20 को ही नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब पेश कर दी गई। निर्णय दिनांक 19.03.20 से जानकारी की तारीख दिनांक 15.12.20 तक का समय माफ किया जाना न्याय संगत है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के खण्डन में कथन किया अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 19.03.20 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय उभयपक्षकारान की बहस सुनकर पारित किया गया था। अपील को इतने समय पश्चात पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। देरी का कोई दिनप्रतिदिन कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर विवेचन करना आवश्यक है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में प्रार्थना पत्र धारा 212 तथा अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय नें तीन मुख्य बिन्दु ना पूर्ति होने वाली क्षति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया केस पर कोई विस्तृत तथ्यों के साथ विवेचन नहीं किया है, जबकि तीनों तथ्य मिन अपीलाण्टान के पक्ष में बखूबी साबित व आयद थे। आराजी मुतनाजा पूर्व में दादा रामचन्द्र की कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी थी, जिसके सम्वत् 1990 में फोत होने के बाद में उक्त आराजी उसके वारिसान सोन्या, रज्जू उर्फ राजपाल एवं मोहरपाल को 1/3–1/3 भाग प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बडे पुत्र सोन्या ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बेईमानी के

आशय से विरासत दर्ज करवा ली, जिसका उसे कोई हक नहीं था। सम्वत् 1986 की जमाबन्दी में रामचन्दर कब्जा 22 साल दर्ज था। मातहत अदालत को जमाबन्दी सम्वत् 1986 को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए था ऐसा ना कर तहत अदालत ने कानूनी भूल की है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में कानूनी दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज 1445, आआरडी 2005 पेज 49, आरआरडी 2004 पेज 117, आरआरडी 2002 पेज 294 एवं आरबीजे 2016 पेज 468 पेश किये गये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्टान द्वारा यह दावा बेजा तौर पर किया गया है कि विवादित आराजी की खातेदारी रामचन्दर के नाम दर्ज थी, क्योंकि खातेदारी अधिकार काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा सम्वत् 2012 से प्राप्त हुए हैं जबकि रामचन्दर की फोत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्तित्व में आने से 22 साल पहले ही सम्वत् 1990 में हो गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्तित्व में आने से पूर्व ग्राम घाट बिस्वेदारी का गांव का था, जिसके बिस्वेदार कल्याण सिंह थे, जिसकी जमीन सोन्या द्वारा दबाई हुई थी। विवादित आराजी पर सोन्या का कब्जा सम्वत् 1991 के पहले से लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने तक रहा था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर रेस्पोडेण्टान के पूर्वज सौन्या को जब्ती बिस्वेदारी के दौरान विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्टान का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है और ना ही कब्जा है। इस प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेण्टान द्वारा अपील को सव्यय खारिज करने का निवेदन किया गया।

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 19.03.20 का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी मुफस्सिल मौजा घाट निजामत लक्ष्मणगढ सम्वत् 1993 में विवादित आराजियात साबिक ख.नं. 391, 394 जिसके हाल ख.नं. 708, 710 व 712 ब्रिस्वेदार कल्याण सिंह की थी जिसमें कॉलम संख्या 05 नाम काश्तकार में रामचन्दर नि. लुजारवास हेदरहेड़ो कब्जा 13 साल का अंकन है। उक्त आराजी ख.नं. 391 सम्वत् 1993 में इन्दर वल्द रामधन अहीर कब्जा 01 वर्ष में थी व ख.नं. 394 सौन्या वल्द मुरली नाई के कब्जे में थी। तत्पश्चात् ख.नं. 394 में मांगू वल्द पांच्या चमार के कब्जे में थी व ख.नं. 391 इन्दर वल्द रामधन अहीर के कब्जे काश्त वर्ष 5 थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक ख.नं. 391 व 394 का बिस्वेदार कल्याणसिंह मालिक था। रजिस्टर दाखिल मौजा घाट निजामत लक्ष्मणगढ में दिनांक 17.05.1935 अमलदरामद सम्वत् 1991 पेश हुआ। हसव तस्दीक गिरवर सिंह लम्बरदार विरासत रामचन्दर बनाम सोन्या वा विसरान है।

जमाबन्दी सन् 1934 (सम्वत् 1991) में नाम मालिक कल्याणसिंह नाम काश्तकार सोन्या वल्द रामचन्दर जाट 394, 391 – 2 साल अंकित है। तत्पश्चात् उक्त सम्वत् 2017 तक इसी आधार पर जमाबंदी सोन्या पुत्र रामचन्द्र दर्ज है।

इस प्रकार रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित साबिक आराजियात के मालिक कल्याण सिंह बिस्वेदार सम्वत् 1991 में उक्त खसरा नम्बरान पर सोन्या वल्द रामचन्द्र जाट काबिज था। सम्वत् 1992 में विरासत से सोन्या विसरान रामचन्द्र अंकित है।

बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 के समय, जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज था वह रेकॉर्डेड खातेदार हो गया। इसी आधार पर सोन्या पुत्र रामचन्द्र के खातेदारी दर्ज हो गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि 'कब्जा' का विरासत हस्तान्तरणीय नहीं होता है बल्कि खातेदारी अधिकारों का विरासत हस्तान्तरणीय होता है। विरासत का निर्धारण तो मूल वाद में तय होने हैं। परन्तु विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि सोन्या वल्द रामचन्द्र को 'कब्जे' के आधार पर सन् 1952 में जो खातेदारी अधिकार मिले हैं, वह रेकॉर्डेड खातेदार है। यह खातेदारी उसको विरासत से प्राप्त नहीं होकर 'बिस्वेदारी उन्मूलन' के कारण 'कब्जे' के आधार पर मिलना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर जिस जो व्यक्ति रेकॉर्डेड खातेदार है, कब्जा भी उसी का होने की धारणा की जाती है।

अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा पेश कानूनी दृष्टांत यहां चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त पैतृक सम्पत्ति के वाद पर चस्पा होते हैं जबकि उक्त विवादित आराजीयात पैतृक न होकर सोन्या वल्द रामचन्द्र द्वारा बिस्वेदार कल्याण सिंह से दबाई हुई है। अदालत मातहत द्वारा सही रूप से विवेचना कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 सही खारिज किया है। किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 19.03.20 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 17.9.21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

संशोधन नोट: पेज नं० 6 पर Para 4/3 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के स्थान पर "न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़" पढ़ा जावे। 27.9.21

[illegible]